

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—४०६ / २०१९

जे०के० यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए : मो० मोख्तार खान, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री आई० सिन्हा, अधिवक्ता

यह मामला वीडियो कॉन्फ़ैसिंग के माध्यम से उठाया गया। पक्षकारों के विद्वान वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता अच्छी है।

०५ / ०७.०१.२०२२ डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या—३३७० / २००३ की बहाली के लिए यह सिविल विविध याचिका दायर की गई है, जिसे २१.०२.२०१९ के अनुलंघनीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया है।

उस आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी सं० १ और २ को नोटिस जारी किया जाना था परन्तु अपेक्षिताएं निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया।

इस सिविल विविध याचिका में दिए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा इसकी अनुमति दी जाती है और डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या—३३७० / २००३ को इस शर्त के

साथ उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है कि अपेक्षिताएं आदि तीन सप्ताह के भीतर दाखिल कर दिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपेक्षिताएं आदि को तीन सप्ताह के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या—3370/2003 को इसकी मूल फाइल में बहाल नहीं किया जा सकेगा।

(राजेश कुमार, न्याया०)